ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

गोला का मंदिर,ग्वालियर (म0प्र0)
फोन नं. 0751 – 2368107

।।अभिरूचि की अभिव्यक्ति।।

ग्वालियर शहर में ई–रिक्शा साँची पार्लर के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण हेतु प्रदायकर्ता नियुक्ति बाबत्

ग्वालियर शहर में ई–रिक्शा द्वारा साँची दुग्ध एवं उत्पाद के सुव्यवस्थित वितरण के लिए प्रदायकर्ता की नियुक्ति हेतु एन.जी.ओ. संस्था एवम् स्वसहायता समूहों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक एन.जी.ओ. संस्था एवम् स्वसहायता समूह जो दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के इच्छुक हों, दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 28.07.2022 दोपहर 2.00 बजे तक राशि रू. 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) नगद जमा कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं । भरे हुये प्रपत्र दिनांक 29.07.2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे तथा दिनांक 01.08.2022 को आवेदकों के समक्ष दोपहर 02.00 बजे खोले जावेगे । प्रत्येक आवेदन के साथ ई.एम.डी.राशि रू. 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक एन.जी.ओ. संस्था एवम् स्वसहायता समूह इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते ह । इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का संशोधन दुग्ध संघ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा। आवेदक निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक................

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

ई-रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता ग्वालियर शहर

हेतु आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2022-2025

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर–474005

दूरभाष कमांक– 0751–2368107

फैक्स नम्बर– 0751–2366981

E-mail : gwaliordairy@gmail.com

आवेदन प्रपत्र मूल्य रू. 1000/–

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर,ग्वालियर फोन नं. 2368107

1.	आवेदन प्रपत्र विक्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	दिनांक 08.07.2022 प्रातः 11:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	28.07.2022 अपरान्ह 2:00 बजे तक
3.	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2022 अपरान्ह 2:00 बजे तक
4.	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	01.08.2022 अपरान्ह 2:00 बजे
5.	आवेदन के साथ जमा की गई धरोहर राशि	रू. 25000/– (पच्चीस हजार मात्र) ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर पेयबल एट ग्वालियर के नाम से देय हो ।
6.	आवेदन पत्र का मूल्य	रू. 1000/– (एक हजार मात्र)
7.	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, *ग्वालियर* *गोला का मंदिर, ग्वालियर–474005*
8.	ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता हेतु तकनीकी अहर्ताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप।	01 एवं 02
9	प्रदायकर्ता हेतु अंक तालिका प्रारूप	प्रपत्र 03
10.	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र 04
11.	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र 05

अन्य प्रारूप

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जाये कि :–

प्रपत्र क्रमांक 01 तकनीकी अर्हताएं प्रपत्र क्रमांक 02 सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ग्वालियर शहर हेतु ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता हेतु आवेदन लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जाये।

1– आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
2– पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे।
3– आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र–01, 02 एवं 03 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जाये।
4– आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 05 पर साँची दुग्ध उत्पाद की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
ग्वालियर

महोदय,

ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता ग्वालियर शहर के कार्य हेतु दिनांक .... को समाचार पत्र में प्रकाशित अभिव्यक्ति की अभिरूचि आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न अनुबंध की शर्ते निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता ह तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित उक्त शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ईएमडी राशि रू. 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के नाम देय है, जिसका क्रमांक................................ दिनांक ....जो कि, ... बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हताऐं	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) है। संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय मध्य प्रदेश में होना अनिवार्य है।		एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) का जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी.नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4	ई–रिक्शा वाहन न होने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध कराने हेतु रू.100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अनुबंधित वाहन होने की स्थिती में अनुबंध की छायाप्रति प्रस्तुत करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें। अनुबंधित वाहन होने की स्थिती में अनुबंध की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक सलग्न करें।

6	आवेदनकर्ता(एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) के विगत् तीन वर्ष के टर्न ओवर का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		विगत् तीन वर्ष के टर्न ओवर की चार्टेट अकाउन्टेट से प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
7	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु वैध FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।		वैध FSSAI लाईसेंस की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
8	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह)का पंजीयन न्यूनतम 10 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। विगत् तीन वर्ष के कार्य का विवरण संलग्न करें।		**तीन वर्ष क अनुभव संबंधी रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।**
9.	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2018–19,2019–20 एवं 2020–21) प्रति वर्ष पृथक–पृथक प्रति वर्ष 10 लाख का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। इस प्रकार तीन वर्ष का न्यूनतम कुल 30 लाख का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।		वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के टर्न ओवर संबंधित सी.ए.द्वारा प्रमाणित दस्तावेज एवम् बैलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
10.	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह) के पास ग्वालियर शहर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट होना अनिवार्य है। जिसमें डीपफ्रीजर/विजी कूलर की समुचित संख्या का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।		**फोकल पॉईन्ट एवं कोल्ड स्टोरेज के स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें।**
11	आवेदनकर्ता (एनजीओ संस्था/स्वसहायता समूह में दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं किसी भी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
12	ई.एम.डी. राशि रू. 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट।		ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के नाम देय मूल डी.डी. /बैंकर्स चैक संलग्न करें।

नोट –

- उक्त समस्त शपथ पत्र रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक–पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता को पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता का कार्य निरस्त कर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर जो भी कार्यवाही की जायेगी संस्था को मान्य होगी तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ——————————————————

नाम :– ——————————————————

पता :– ——————————————————

पिन नम्बर :–——————————————————

मोबाईल नं.——————————————————

(सामान्य शर्ते)

प्रपत्र क्रमांक–02

ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता ग्वालियर शहर में नियुक्ति हेतु कार्य आवंटन की शर्ते :–

1– आवेदनकर्ता संस्था प्रमुख को आवेदन के साथ स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता के लिए एनजीओ संस्था अथवा स्वसहायता समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन ही मान्य किये जावेगे, किसी अन्य आवेदनकर्ता का आवेदन निरस्ती योग्य होगा। एनजीओ संस्था अथवा स्वसहायता समूह का मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत जीवित पंजीयन जो कि न्यूनतम 10 वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है।

3– आवेदक संस्था/समूह को कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

4– संस्था के प्रतिनिधियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

5– संस्था के पास नीति आयोग का पंजीयन, आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र, ट्रेडमार्क, 12(ए), 80(जी), C.S.R. का पंजीयन होना अनिवार्य है तथा FCRA. होना या FCRA.हेतु आवेदन किया गया हो, को प्राथमिकता दी जावेगी।

6– आवेदक संस्था/समूह का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवम् 2020–21) में वार्षिक टर्न ओवर प्रतिवर्ष 10 लाख होना अनिवार्य है। इस प्रकार तीन वर्ष का कुल टर्न ओवर 30 लाख या अधिक होना अनिवार्य है।

7– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायक को प्रारंभिक तौर पर न्यूनतम 5 ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से चलित ई–रिक्शा साँची पार्लर संचालन आंरभ करना अनिवार्य होगा एवं भविष्य में आवश्यकता अनुसार ई–रिक्शा साँची पार्लर की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

8– आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 25000/– (अक्षरी रू. पच्चीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/कार्यालय में नगद अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी) जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे। चयन होने की स्थिति में आवेदनकर्ता द्वारा जमा ई.एम.डी राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जाएगा।

9– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत निर्धारित प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी./आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी. द्वारा) जमा करना होगी, जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जितनी क्रेटें प्रदाय की जाएंगी, उसके विरूद्ध प्रचलित बाजार दर अनुसार क्रेट हेतु प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना अनिवार्य होगी।

10– ई–रिक्शा/ई–कार्ट में साँची की ब्राण्डिंग के साथ साँची पार्लर का डिज़ाईन दुग्ध संघ से अनुमोदित कराना होगा।

11– साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के भण्डारण एवं ई–रिक्शा/ई–कार्ट को दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु ग्वालियर शहर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट होना अनिवार्य है। जिसमें समुचित संख्या में डीपफ्रीजर/विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।

12– ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर में साँची दूध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं साँची आईस्क्रीम एवम् साँची कुकीज आदि के विक्रय की व्यवस्था रखनी होगी।

13– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी, प्रदायकर्ता के द्वारा बताए सूचित स्थान पर सिंगल प्वाईन्ट डिलेवरी दी जावेगी। ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पाद ई–रिक्शा साँची पार्लर नेटवर्क के माध्यम से विक्रय करना होगा।

14– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायक को एक दिन पूर्व मांग ई.आर.पी सिस्टम/ई–मेल के द्वारा दुग्ध संघ को लिखित में देनी होगी, जिसकी दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। माग अनुसार दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं समस्त साँची उत्पाद का प्रदाय दिन में एक ही बार किया जावेगा।

15– दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले दूध एवम् अन्य उत्पाद, की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश व बैंक अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व की वांछित मांग अनुसार धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ हो।

16– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को समस्त साँची दूध एवं उत्पाद रिटेलर दर पर प्रदाय किये जाएंगे। साथ ही साँची दूध पर मार्जिन रू. 0.50 प्रतिलीटर एवं मासिक क्रय किए गये उत्पाद की राशि पर 03 प्रतिशत मार्जिन प्रदान किया जाएगा। ई–रिक्शा प्रदायकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दर पर साँची पार्लर संचालकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा।

17– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी दूध एवम् दुग्ध उत्पाद की वापसी मान्य नहीं होगी।

18– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तो के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रदायकर्ता को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति व कार्य संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार आपसी सहमति से एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक कार्य अवधि बढाई जा सकेगी।

19– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर में 150 से 300 लीटर क्षमता के डीप–फ्रीज़र की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पादों को 4 से 8 डिग्री तापमान तथा आइसक्रीम हेतु (–) डिग्री तक के तापमान की व्यवस्था होना चाहिये।

20– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता नेटवर्क सम्पूर्ण ग्वालियर शहर में ई– रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से लक्ष्य अनुसार विक्रय प्राप्त करना आवश्यक होगा।

21– ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में सहभागिता देगा। ई–रिक्शा प्रमोशन के लिए उपलब्ध स्थान में दुग्ध संघ के निर्देशानुसार प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाना होगा।

22– इस EOI को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23– आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

24– वर्तमान में जिन पार्टियों के विरुद्ध दुग्ध संघ का किसी भी प्रकार का वाद/आर.आर.सी/प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो ऐसी पार्टी/व्यक्ति/फर्म आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसो पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।

25– आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य, संस्था के सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं संस्था के विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

26– प्राप्त आवेदकों में से ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न पैरामीटर के लिए अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे प्रदायक हेतु चयनित किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते है तो प्रदायकर्ता का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा। एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में तथा तकनीकी अर्हताऐं पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने की स्थिति में आवेदन मान्य किया जावेंगा।

27–यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

संस्था द्वारा ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली गई है तथा संस्था सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या बिन्दु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों का पालन नही करते है तो संस्था का आवेदन/अनुबंध निरस्त कर अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का यदि प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु संस्था अपनी सहमति देती है।

हस्ताक्षर

नाम ....

पता/पिन नम्बर ....

....

....

सील..

प्रपत्र क्रमांक 03

ई–रिक्शा/ई–कार्ट द्वारा साँची दुग्ध, उत्पाद के प्रदायकर्ता हेतु अंक तालिका

(ग्वालियर जिला हेतु)

1. ग्वालियर जिले के लिए साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य उत्पाद के ई–रिक्शा चलित विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता की नियुक्ति के लिए नियमानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है ।

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष पृथक–पृथक (तीन वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) का न्यूनतम कुल टर्न ओव्हर 30 लाख	प्रति पचास लाख टर्न ओव्हर के मान से 10 अंक अधिकतम 40 अंक	
2	संस्था का पंजीकरण न्यूनतम 10 वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है।	10 वर्ष से अधिक पुराना पंजीयन होने पर प्रतिवर्ष के मान से 20 अंक अधिकतम 40 अंक	
3	भण्डारण हेतु समुचित संख्या में डीपफ्रीजर/ विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज	प्रति डीपफ्रीजर/ विजी कूलर हेतु 05 अंक अधिकतम 20 अंक	

नोट :अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता को चयनित किया जायेगा तथा यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो ई–रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता का चयन समिति के सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जायेगा । एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में तथा तकनीकी अर्हताऐं पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने की स्थिति में आवेदन मान्य किया जावेंगा।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता हेतु

आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो स्वप्रमाणित

1– आवेदनकर्ता एनजीओ संस्था/
स्वसहायता समूह का नाम – ....
2– संस्था प्रमुख का नाम एवं पदनाम – ....
3– स्थाई पता (प्रमाण सहित) – ....
4– दूरभाष नं. / मोबाईल नं – ....
5– पिन कोड़ नम्बर – ....
6- E-mail ID – ....
7– वर्तमान व्यवसाय – ....
8– वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – ....
(अ) चल अचल संम्पति का व्योरा – ....
(ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में – ....
जमा राशि (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)
9– प्रदायकर्ता हेतु आवश्यक – ....
पूँजी की व्यवस्था – ....
10– जी.एस.टी. नम्बर – ....
(छायाप्रति संलग्न करें।)
11– धरोहर/ई.एम.डी. राशि – ....
डी.डी./एम.आर.नं – ....

दिनांक – .... प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता :–

– ....

– ....

– ....

– ....

प्रपत्र क्रमांक–05
(अनुबंध शर्तों का प्रारूप)

<u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ प्रदायकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है।

1–यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत ई–रिक्शा साँची पार्लर प्रदायकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। प्रदायकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस प्रदायकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
2–यह कि द्वितीय पक्ष "साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी ई–रिक्शा के द्वारा वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत ई–रिक्शा साँची प्रदायकर्ता नियुक्त है ।
3–यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 05 ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर के माध्यम से साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं आइसक्रीम विक्रय हेतु सम्पूर्ण ग्वालियर शहर के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष अर्थात दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि हेतु ई–रिक्शा साँची पार्लर प्रदायकर्ता नियुक्त किया जाता है। जिसे वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक–एक वर्ष के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार ई–रिक्शा साँची पार्लर की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी जिसे द्वितोय पक्ष द्वारा पूर्ण करना होगा।
4–.समस्त साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद रिटेलर दर पर प्रदाय किये जाएंगे। साँची दूध पर मार्जिन रू. 0.50 प्रति लीटर एवं मासिक क्रय किए गये उत्पाद की राशि पर 03 प्रतिशत मार्जिन प्रदान किया जाएगा। ई–रिक्शा प्रदायकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दर पर साँची पार्लर संचालकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा।
5– –यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि रु......................शब्दों में .... जमा की गई है। जमा प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। जितनी क्रेटें प्रदाय की जाएंगी, उसके विरूद्ध प्रचलित बाजार दर अनुसार क्रेट हेतु प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना अनिवार्य होगी।
6–द्वितीय पक्ष को प्रारंभिक तौर पर न्यूनतम 05 ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर संचालन आंरभ करना अनिवार्य होगा। साथ ही भविष्य में प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष को ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर की संख्या बढ़ानी होगी।
7–यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मांग अनुसार प्रदायित राशि का एक दिवस पूर्व अग्रिम राशि जमा करन पर ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। शासकीय अवकाश व अन्य अवकाश, बैंक अवकाश होने की स्थिति में अंतिम कार्य दिवस (अवकाश वाले दिवस से पूर्व) पर अग्रिम राशि जमा कराने पर ही दुग्ध उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
8–द्वितीय पक्ष को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की वापसी मान्य नही होगी।
9–मांग एवं दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ का प्रदाय उनक प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, जिसे द्वितीय पक्ष उसी पैकिंग/ईकाई/क्रेट /कार्टन में (साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुला साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से निर्धारित समय में दिन में एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में दुग्ध पदार्थ की मांग की आपूर्ति उपलब्धता अनुसार अन्य समय पर भी की जा सकेगी। क्रेट में प्रदाय किए गए दुग्ध उत्पादों क वितरण पश्चात् उसी दिन खाली क्रेट संघ में जमा कराना अनिवार्य होगा।

10—यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य उत्पाद के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जायेंगे, जिनकी पूर्ति करने हेतु प्रयास करना होगा।

11—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य उत्पाद की वांछित मात्रा की मांग एक दिवस पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम ई.आर.पी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट—छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जायेगा।

12—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, मात्रा का लेखा—जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम पक्ष द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे। साथ ही द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन ई—रिक्शा पार्लर संचालक को प्रदाय मात्रा का लेखा जोखा प्रत्येक ई—रिक्शा अनुसार संघ को ई—मेल के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा।

13—यह कि द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य उत्पाद प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।

14—यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रोय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।

15—यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की पावती देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक सख्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

16—यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित दुग्ध पदार्थ के सैम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष उन्हें सील बंद ईकाई (दुग्ध पदार्थ) देंगे, किसी भी स्थिति में खुला दुग्ध पदार्थ नही देंगे अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।

17—द्वितीय पक्ष ई—रिक्शा साँची पार्लर के माध्यम से साँची द्ध एवं उत्पादों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी/समकालीन ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय नहीं करेंगे।

18—द्वितीय पक्ष को ''साँची'' की ब्रांडिंग कर ई—रिक्शा/ई—कार्ट साँची पार्लर का डिज़ाईन प्रथम पक्ष से अनुमोदित कराना होगा।

19—ई—रिक्शा/ई—कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता को द्वारा ई—रिक्शा साँची पार्लर में 150 से 300 लीटर क्षमता के डीप—फ्रीज़र की व्यवस्था करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पादों को 4 से 8 डिग्री तापमान तथा आइसक्रीम हेतु (—) डिग्री तक का तापमान की व्यवस्था होना चाहिये।

20—द्वितीय पक्ष को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के भण्डारण एवं ई—रिक्शा/ई—कार्ट को दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु ग्वालियर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट स्थापित करना होगा। जिसमें न्यूनतम 03 डीपफ्रीजर/विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।

21—द्वितीय पक्ष विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में सहभागिता देगा। ई—रिक्शा/ई—कार्ट प्रमोशन के लिए उपलब्ध स्थान में प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रचार—प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाना होगा।

22—द्वितीय पक्ष को ई—रिक्शा/ई—कार्ट साँची पार्लर में दुग्ध उत्पाद, घी एवं साँची आईस्क्रीम विक्रय की व्यवस्था रखनी होगी।

23—ई—रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी, प्रदायकर्ता के द्वारा बताए सूचित स्थान पर सिंगल प्वाईन्ट डिलेवरी दी जावेगी। ई—रिक्शा चलित साँची विक्रय केन्द्र प्रदायकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पाद ई—रिक्शा साँची पार्लर नेटवर्क के माध्यम से विक्रय करना होगा।

24—यह कि उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

25—यह कि उपरोक्त शर्तो में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा आवेदन पत्र की समस्त शर्ते एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा माने जाएंगे।

26–यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

27–द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यक्षेत्र में संचालित ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर एजेंट को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर दुग्ध उत्पाद मांग अनुसार पहुंचाकर प्रदाय करेंगे। द्वितीय पक्ष को प्रदायित दुग्ध पदार्थ की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।

28–द्वितीय पक्ष पर किसी भी प्रकार की दुग्ध, दुग्ध उत्पाद की बकाया राशि एवं बकाया क्रेट होने पर प्रथम पक्ष के पास जमा प्रतिभूति राशि से बकाया राशि की वसूली की जाने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

29–यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित आवंटन की शर्तें एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य संपादन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

30–इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र ग्वालियर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक .... को निष्पादित किया गया है।

मैं..पिता/पति/पत्नी.. .... ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री / श्रीमति............... ....को घोषित करता/ करती हूँ।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण चेतना में ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

नाम ....
ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता
ग्वालियर
पता/पिन नम्बर ....

....

....

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ,

हस्ताक्षर साक्ष्य– 1

नाम ....

पता/पिन नम्बर..
....
....

हस्ताक्षर साक्ष्य– 1

नाम ....

पता /पिन नम्बर ....
....
....

हस्ताक्षर साक्ष्य– 2

नाम ....

पता/पिन नम्बर..
....
....

हस्ताक्षर साक्ष्य– 2

नाम ....

पता /पिन नम्बर ....
....
....

परिशिष्ट 'अ'

शपथ पत्र का प्रारूप

केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

नाम	–	....
पिता	–	....
आयु	–	....
निवासी/पिन नम्बर	–	....

ग्वलियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्व ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर प्रदायकर्ता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि :–

1. मैं ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हू।
2. मुझे एमपीसीडीएफ, भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

परिशिष्ट ''ब''

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स ...., सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के आदेश क्र. .... दिनांक .... द्वारा दुग्ध वितरक/दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता/घी वितरक...................................... के रूप में कार्यरत है। इनकी कार्य अवधि दिनांक .... तक प्रभावशील है। श्री/मेसर्स .... का कार्य संतोषप्रद है।

अतः श्री/मेसर्स....................... को दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा .... कार्य हेतु जारी निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई में भाग लेने हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल ग्वालियर दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा जारी .... कार्य हेतु निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई के लिये जारी किया जा रहा है, अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं।

प्रभारी (विपणन)